न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा
जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :- **मृदुला शेखावत,** (आर.ए.एस)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :- 704/2023

प्रार्थी :-

1.राकेश कुमार पुत्र उलाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ग्राम भावी सीरवीबास तहसील बिलाडा जिला जोधपुर हालमुकाम विपेज 15 के.एच.एम. दंतौर बीकानेर राजस्थान

बनाम

अप्रार्थीगण :-

1.राजस्थान सरकार जरिये तहसील बिलाडा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

उपस्थिति :- प्रार्थी - श्री राजेन्द्र प्रसाद बोराणा, अधिवक्ता।
अप्रार्थी सं. 1- सरकारी पैरोकार

<u>निर्णय</u> दिनांक :- 17/02/2

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम भावी सीरवीबास, तहसील बिलाड़ा की सरहद में प्रार्थी की पुश्तैनी सयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 1022/4 रकबा 1.0113 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय, खसरा नम्बर 934 रकबा 1.0679 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय कुल उक्त भूमि प्रार्थी एवं अन्य सबूत के तौर पर जमाबन्दी खसरा 2 कुल रकबा 2.0792 हैक्टेयर आई हुई है। सयुक्त खातेदारान के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। संवत् 2076 से 2079 पेश है। उपरोक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में लिपिकीय त्रुटिवश प्रार्थी का नाम राकेश कुमार के स्थान पर मुकेश दर्ज कर दिया गया है। जबकि प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम राकेश कुमार है तथा प्रार्थी के परिवार में मुकेश नाम का कोई व्यक्ति नही है वजह सबूत प्रार्थी के आधारकार्ड, पैनकार्ड, स्कूल रेकर्ड, बैक पासबुक व अन्य सरकारी दस्तावेजों की प्रतियों साथ संलग्न पेश है। जिसमें प्रार्थी का सही नाम राकेश कुमार पुत्र उलाराम दर्ज है। प्रार्थी का नाम राजस्व रेकर्ड में राकेश कुमार के स्थान पर मुकेश दर्ज करते समय हल्का पटवारी द्वारा किसी प्रकार के दस्तावेजों की जाँच नहीं की गयी इसलिए प्रार्थी को अपना गलत नाम मुकेश के स्थान पर सही नाम राकेश कुमार दर्ज करवाने हेतु उक्त प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना पड रहा है। प्रार्थी दिनांक 17.05.2023 को अपनी खातेदारी भूमि पर ऋण लेने हेतु बैंक मैनेजर के पास गया तो बैंक मैनेजर ने जमाबन्दी व प्रार्थी के सरकारी दस्तावेजों को देखकर प्रार्थी को बताया कि अन्य सभी दस्तावेजात् में आपका नाम राकेश कुमार दर्ज है परन्तु उपरोक्त खसरान के राजस्व रेकर्ड में आपका नाम मुकेश दर्ज है तो प्रार्थी पटवारी के समक्ष गया तो प्रार्थी को जानकारी हुई कि राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में उसका नाम राकेश कुमार के स्थान पर मुकेश दर्ज किया हुआ है। जिसकी शुद्धि करवाया जाना अति आवश्यक है क्योकि

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
बिलाडा

प्रार्थी के राजस्व रेकर्ड में उक्त गलत नाम दर्ज होने से प्रार्थी न तो किसी प्रकार की सरकारी सहायता प्राप्त कर सकता है एवं न ही अपनी उक्त कृषि भूमि पर ऋण आदि प्राप्त कर सकता है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज प्रार्थी का गलत नाम मुकेश के स्थान पर सही नाम राकेश कुमार दर्ज किये जाने का आदेश जारी फरमाया जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी को सम्मन बाद तामिल पेश हुए। अप्रार्थी सं. 1 सरकारी पैरोकार की ओर से जवाब पेश किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 934 रकबा 6 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नंबर 1022/4 रकबा 6-05 बीघा आई हुई है जो संयुक्त खातेदारी में है। वादी का नाम पहली बार राजस्व रेकर्ड में जरिये विरासत नामा. 2360 दिनांक 20.8.2012 को मुनेश पिसरान उलाराम दर्ज हुआ, जो आज दिन तक चला आ रहा है। वादी द्वारा सरकारी दस्तावेज राशनकार्ड, आधारकार्ड, इत्यादि पेश कर अपना नाम राकेश कुमार पुत्र उलाराम होना बताया। वादी अपना नाम राजस्व रेकर्ड में मुनेश पुत्र उलाराम के स्थान पर राकेश कुमार पुत्र उलाराम करवाना चाहता है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी के संयुक्त खातेदारी के खसरा नंबर 934 रकबा 6-12 बीघा, खसरा नंबर 1022/4 रकबा 6-05 बीघा ग्राम भावी एस बी में आई हुई है। जिसमें वादी अपने नाम की दुरूस्ती मुकेश पुत्र उलाराम के स्थान पर राकेश कुमार पुत्र उलाराम करवाना चाहता है।

सहायक कलक्टर ...

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी, प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया और प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रेकर्ड दुरूस्ती का निवेदन किया। अप्रार्थी सरकारी पैरोकार ने जवाब के तथ्यों को दोहराया । पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात राजस्व ग्राम भावी सीरवी बास जमाबंदी संवत् 2076-2079 के खसरा नंबर 934 रकबा 6-12 बीघा, खसरा नंबर 1022/4 रकबा 6-05 बीघा में प्रार्थी का नाम मुकेश पुत्र उलाराम के नाम से खातेदारी दर्ज है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात आधार कार्ड, पैनकार्ड व बैंक आफ बडौदा की बैंक डायरी की प्रति में प्रार्थी का नाम राकेश कुमार दर्ज है। हस्तगत प्रकरण राजस्व ग्राम भावी सीरवी बास जमाबंदी संवत् 2076-2079 के खसरा नंबर 934 रकबा 6-12 बीघा, खसरा नंबर 1022/4 रकबा 6-05 बीघा में प्रार्थी का नाम राजस्व रेकर्ड में

कलक्टर
...ड अधिकारी
...ाडा

जरिये विरासत दर्ज हुआ, जिसकी पुष्टि नामा. सं0 2360 की प्रति व तहसीलदार रिपोर्ट से की गई। अतः उपरोक्त दस्तावेज नामा. सं. 2360 से स्पष्ट प्रतीत होता है कि प्रार्थी का नाम राजस्व रेकर्ड में जरिये विरासत इन्द्राज हुआ। प्रार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है उक्त प्रकरण में चाहा गया अनुतोष अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत बनता है। इसलिए प्रार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष दुरुस्त किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

:- आदेश -:

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम भलीभांति साबित नहीं होने व सारहीन होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैशलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 17/04/24 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा